मानव जीवन विकास समिति

वार्षिक रिपोर्ट

2011–2012

ग्राम बिजौरी पोस्ट मझगवां जिला कटनी म.प्र.
फोन नं. 07626–275223, 275232
E-mail:mjvskatni@gmail.com
website. www.mjvs.org

संस्था का परिचय :–

मानव जीवन विकास समिति की स्थापना 28 नवम्बर 2000 को कटनी जिले के बिजौरी ग्राम में की गई। यह एक स्वयं सेवी संस्था हैं जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेष है संस्था वर्तमान में मण्डला, बालाघाट, डिण्डौरी तथा कटनी जिले में कार्यरत हैं। कार्यक्षेत्र में 60 प्रतिशत आदिवासी हैं। कटनी जिले में 40 प्रतिशत कोल ए ं डिण्डोरी जिले में 70 प्रतिषत बैगा एवं गोंड़ तथा बालाघाट में गोंड़ आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। इनके अलावा पिछड़े वर्ग के तथा कुछ सामान्य वर्ग के लोग है। क्षेत्र में षिक्षा का अभाव हैं। लोग आज भी परम्परागत रूढ़ियों से ग्रस्त है। अध्यक्ष पी0वी0 राजगोपाल जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गाँधी जी के बिचारों के अनुसार ग्राम स्वराज्य एवं ग्राम स्वावलम्बन के लिये संस्था कार्य कर रही हैं। निर्भय सिंह संस्था के सचिव तथा श्री अनीश कुमार के0के0 कोशाध्यक्ष हैं। संस्था को 80 जी तथा एफ0सी0आर0ए0 का प्रमाण पत्र प्राप्त है।

महाकौषल अंचल के पिछड़ी जनजाति बैगा एवं अन्य समुदाय के जीवन व भोजन के लिए परियोजना के उद्वेष्य से भूमि आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने हेतु परियोजना का संचालन द्वारा संचालित किया गया है। समुदाय के मध्य जीविकोपार्जन के संसाधन जल, जंगल और जमीन पर लोगो के परम्परागत अधिकार की पुनर्स्थापना के जमीनी स्तर पर प्रेरक कार्यो को मजबूत बनाने के लिए व्यापक रू्प से षासन एवं प्रशासन स्तर मे दबाव बनाने हेतु रचनात्मक कार्य करने का मुख्य उद्वेष्य रहा है जनादेष 2007 अहिंसात्मक आन्दोलन के सफलता के बाद वनाधिकार अधिनियम को कार्यद्वोत्र मे लागू कराने हेतु पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रषासन के साथ संवाद सीापित कर दबाव बनाना एवं साथ ही नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु समय–समय पर प्रषिक्षण एवं सम्मेलन, एक्सपोजर विजिट जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना तथा समुदाय के अर्थव्यवस्था को विकसित करने हेतु स्वसहायता समूह, परस्पर सहयोग समूह को बैंक से जोड़कर बैंको से सहायता प्राप्त कर आर्थिक कार्यक्रम चलाना भूमि सुधार, जलसंरक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना परियोजना आधारित कार्य दस्तावेजीकरण एवं जनवकालत कार्यक्रम संचालित कर समुदाय के जीवन स्तर को सुद्वढ़ बनाने के लिये कार्यक्षेत्र मे जमीनी स्तर पर प्रेरक कार्य किया गया है।

कार्यक्षेत्र

जिला	ब्लॉक	गांव
कटनी	बड़वारा	30
	ढ़ीमरखेड़ा	20
डिण्डौरी	समनापुर	50
	बजाग	20
मण्डला	बिछिया	30
	मवई	20
	घुघरी	30
बालाघाट	बैहर	60
सतना	मैहर	01
दमोह	पटेरा	01
6	10	262

उपरोक्त कार्यक्षेत्र के अलावा स्कॉलरषिप, एम0सी0डी0सी0 एकता महिला मंच, एकता लोक कलां मंच, भूमि अधिकार अभियान शोध, नेषनल एडवोकेसी एवं नेटवर्किंग, स्थानीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन आदि विषयों पर भी संस्था सम्पूर्ण भारत के विभिन्न प्रांतों में अपने सम्पर्कीय साथियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा काम कर रही है ।

उद्धेश्यः–

- जैविक कृषि एवं जड़ी बूटियों का संग्रह एवं संवर्धन का क्षेत्र में प्रचार प्रसार ।
- सामाजिक कल्याण के लिये अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध लोकचेतना जागृत करना।
- शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर विस्थापित आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिये गतिशील करना ।
- पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त कर उसके संरक्षण के प्रयास करना।
- समाज में महिलाओं को सम्मान तथा अधिकार दिलवाने के लिये षिक्षा तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार कर उनकी समझ विकसित करना।

- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयास करना।
- स्थानीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं अभिवृद्धि।
- वनवासियों को वन तथा वनोपज के लिये उचित अधिकार दिलाना।
- रचनात्मक कार्यों की सहायता से समाज परिवर्तन की दिशा में कार्य करना।
- षिक्षण और प्रषिक्षण के द्वारा युवाओं की आजीविका सम्बन्धी समस्यायों के समाधान का प्रयास करना।
- समाज में गांधी विचार का प्रचार प्रसार कर शांति, अहिंसा और प्रेम की भावना जागृत करना।
- गावों में एकजुटता की भावना लाकर सत्य अहिंसा पर आधारित समाज निर्माण हेतु सार्थक पहल कराना ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की भावना से समूहों का निर्माण कर संचालन व प्रषिक्षण के प्रयास करना ।

ट्रेनिंग सेन्टर :– संस्था के पास 30 एकड़ भूमि है। इसी भूमि पर संस्था का कार्यालय, ट्रेनिंगहाल, अतिथि भवन, आवासीय भवन तथा किचिन है। यातायात की सुविधा के लिये संस्था के पास एक महिंद्रा जीप एवं दो मोटर सायकल है जिसका उपयोग कार्यक्षेत्र के लिये किया जाता है। इसके अलावा ऑफिस में तीन कम्प्यूटर, प्रिंटर जनरेटर सहित व्यवस्था है ।

अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक निम्नलिखित प्रशिक्षणों का आयोजन प्रषिक्षण केन्द्र में किया गया

प्रदर्षनी– हैदराबाद में आयोजित ''नॉन वायलेंस इकोनामी'' प्रदर्षनी में संस्था ने भाग लेकर जैविक कृषि तथा जड़ी बूटियों का प्रदर्षन किया । जिसमें 27 प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रदर्षन किया गया था। तथा साथ में फोटो प्रदर्षनी भी लगाई थी।

संगठनात्मक बैठक–

- जनसत्यागृह 2012 की पूर्व तैयारी के संदर्भ में दल नायक, षिविर नायक प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया । जिसमें राजस्थान, मध्यप्रदेष व उत्तर प्रदेष के साथी भाग लिए श्री राजा जी व श्री रन सिंह जी ने संचालन किया ।
- संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया।
- वर्ष में तीन बार मुखिया प्रषिक्षण आयोजित की गई जिसमें दस्तानायक एवं जत्थानायक तैयार करने की प्रक्रिया चलाई गई ।

स्कूल का संचालन :–

बड़वारा ब्लॉक के अन्तर्गत मदारी टोला में सरकारी स्कूल के साथ संस्था द्वारा एक षिक्षिका का मानदेय देकर बच्चों की पढ़ाई का कार्य किया जा रहा है जिसमें 120 बच्चे अध्ययनरत है। इस वर्ष 110 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया। इसी के साथ–साथ रानीदुर्गावती स्कूल के नाम से संचालित सिझौरा जिला मण्डला में आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया जिसमें स्कूल बनाने व एक षिक्षिका का आर्थिक मदद दी गई जिसमें 85 बच्चे है।

परस्पर सहयोग समूह एवं स्वसहायता समूह की जानकारी :– कार्यक्षेत्र के गांव में 195 स्व–सहायता समूहों का संचालन किया गया। 45 समूहों के बैंक में खाते खुलवाये गये। परियोजना क्षेत्र के ग्रामों मे समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के तहत संगठनात्मक गतिविधि के साथ परस्पर सहयोग समूह एवं स्वसहायता समूह का गठन कर बचत और बैंको से जोड़कर सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य रहा है। साथ ही ग्राम स्तर पर साहूकारो से मुक्ति मिली है। समूह के सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को भी आसानी से ऋण प्राप्त करने मे सुविधा हो रही हैं।

रचनात्मक कार्य – स्व–सहायता समूहों के माध्यम से संस्था ने रचनात्मक कार्यो द्वारा लोगों को आजीविका साधन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया तथा कृषि में सहायता कर खाद्यान्न सुरक्षा बढ़ाने में सहयोग किया।

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन– प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन की दृष्टि से जैविक कृषि, वर्मी कम्पोस्ट, नर्सरी, कम्पोस्टपिट, वृक्षारोपड़, जड़ीबूटी संग्रह एवं संवर्धन तथा जल प्रबन्धन के कार्य किये गये।

- **सिझौरा–** जैविक कृषि को बढ़ावा देन के लिये कम्पोस्टपिट बनाया गया तथा वृक्षारोपड़ के लिये पौधों की नर्सरी तैयार की गई ।
- **बिजौरी–** संस्था के केन्द्र स्थल पर जैविक कृषि के अन्तर्गत धान और गेहूँ की खेती की गई। इसके अतिरिक्त अरबी, लौकी, आलू, प्याज, अदरक, मिर्च तथा हल्दी लगाई गई जिनका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके अलावा वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट, नर्सरी, वृक्षारोपड़ किया गया।

क्रं.	फसल	बीज	उत्पादन
1	धान	2.20 क्वि.	30 क्वि.
2	गेहूँ	5 क्वि.	20 क्वि.
3	लौकी	100 ग्राम	3.50 क्वि.
4	अरबी	5 किलो	40 किलो
5	प्याज	500 ग्राम	150 किलो
6	मिर्च	100 ग्राम	150 किलो
7	आलू	50 किलो	2.50 क्वि.
8	अदरक	25 किलो	90 किलो
9	हल्दी	20 किलो	130 किलो

दुर्लभ जड़ीबूटी कलिहारी जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उपयोग यदि कील या धातु जैसे सुई पैर में चुभ जाता है तो कलिहारी कन्द को घिसकर लगा देने से कील या सुई बाहर निकल आती है एवं दर्द दूर हो हो जाता है तथा सुखपूर्वक प्रसव होने में भी सहायक होता है।

वृक्षारोपण– वृक्षारोपण की दृष्टि से सागौन, खम्हेर, कटंगा बांस, यू–के लिप्टस, ग्लिरीसीडिया के पौधे लगाये गये –

क्रं.	प्रजाति	संख्या
1.	सागौन	1000
2	खम्हेर	800
3	कटंगा बांस	500
4	यू के लिप्टस	100
5	ग्लिरीसीडिया	200
	कुल	**2600**

- **कम्पोस्ट (नापेड)** – कम्पोस्टपिट से एक टन कम्पोस्ट खाद प्राप्त हुई।
- **वर्मीकम्पोस्ट** – इस वर्ष वर्मीकम्पापेस्ट से 1000 किलो वर्मीकम्पोस्ट प्राप्त हुआ।

- **लकड़ी** – पुराने वृक्षों से 8 टन लकड़ी प्राप्त हुई जिसमें 200 किलो इमारती लकड़ी थी तथा शेष जलाऊ लकड़ी थी ।
- **मेड़बन्दी** – सेंटर में 15 एकड़ भूमि की मेड़बन्दी करवाई गई ।
- **नर्सरी** – नर्सरी में इस वर्ष 18,000 नये पौधे तैयार किये गये।
- **जड़ीबूटी संग्रह संवर्धन** – 385 प्रजातियों के पौधे लगाये गये ।

क्रं.	नाम	पौधे
1	बांस	3196
2	आंवला	100
3	खम्मार	150
4	पपीता	20
5	रतनजोत	210
6	मीठीनीम	80
7	नींबू	15
8	जड़ी बूटी	35 प्रकार की 385 पौधे

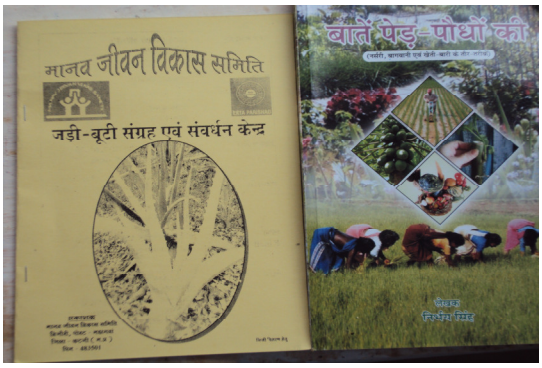

जड़ी बूटी संग्रह एवं संवर्धन :– पुस्तक जिसमें विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों का उल्लेख है, इसे सम्मेलन में आये सभी संस्थाओं के लोगों को उपहार स्वरूप प्रदान की गई।

स्कॉलरषिप :– भारत के किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति यदि महात्मा गाँधी के विचारों के अनुसार जनहित में देष के आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत है तो संस्था उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता करती है वर्ष 2010–2011 में मध्यप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ के कुल 10 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई ।

राष्ट्रीय महिला कलाकार प्रषिक्षण षिविर सम्पन्न

मानव जीवन विकास समिति के तत्वाधान में तीन दिवसीय राष्ट्रीय महिला कलाकारों का प्रषिक्षण षिविर का आयोजन समिति प्रांगण मे किया गया। जिसमे कला मंच की महिलाओं ने भाग लेकर संगीत वादन मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। तथा संगीत के लय, स्वर, धुन ताल आदि के बारे जानकारी प्राप्त की है।

कार्यक्रम का शुभारम्भ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के तिलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण व स्वागत गीत के माध्यम से किया गया। मंचासीन अतिथियों ने अपने–अपने विचार व्यक्त करते हुए लोक संगीत व लोक विधाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि हमारी लोक संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो हमारे मन को प्रसन्नचित तो करती ही है पर समाज को जागरूक करने मे भी सहायक होती है।

उक्त संगीत महोत्सव में उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मालवा क्षेत्र व मध्यप्रदेष के विभिन्न अंचलों के लगभग 30 लोक कलाकार भाग लेकर प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे है जो आपने–अपने क्षेत्रों में जाकर जनसत्याग्रह 2012 में जाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। कला मंच से राजकली पटेल, गोकरन भाई, कमलेष भाई, के सहयोग एवं मार्गदर्षन से कलाकारों ने उपस्थित होकर अपनी–अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। कलाकारों द्वारा जो भी गल्तियां होती थी उसमे सुधार करवाया गया। जिससे वे सफलता पूर्वक अपनी भूमिका निभा सके। तीन दिवसीय संगीत महोत्सव मे उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मालवा क्षेत्र व मध्यप्रदेष के लगभग 30 कलाकारों द्वारा विभिन्य लय, ताल की बारीकियों को भलीभांति समझा सीखा व 26 गानों की एक सीडी का विमोचन किया गया जो भी साथियों ने 3 दिन तक गीत ,संगीत को सीखा जाना उन्ही की एक सीडी तैयार कर सभी प्रशिक्षणार्थियों को सप्रेम भेंट किया गया प्रषिक्षण सत्र के दौरान संगीत महोत्सव के संचालन को गोकरन भाई, कमलेश भाई व राजकली पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे संगीत महोत्सव मे पूरे महौल को गरिमामय बनाने मे राजकली बहन एवं कस्तूरी बहन ने मदद् किया। गोकरन भाई व कमलेश भाई ने सभा का संचालन किया। निर्भय सिंह ने पूरे संगीत प्रषिक्षण व महोत्सव की छोटी–छोटी बारीकियों को ध्यान रखकर व्यवस्था को संभाले रहे कार्यक्रम के सफल संचालन में अभय कुमार, रामकिषोर, दयाशंकर, विनोद कुमार व रामसुजान का सराहनीय सहयोग रहा।संस्कृति को बढ़ावा देना व उन्हे संरक्षण प्रदान करने की द्वष्टि से दमोह, कटनी, मण्डला आदि जिलों में 30 कलां मण्डलियों का गठन किया गया जिसके 245 सदस्य है जो संगठनात्मक कार्यो रैली, सभा आदि मंचों पर अपने हुनर का प्रदर्शन करते है तथा इसके साथ–साथ 17 कला मण्डलियों अपने–अपने स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है तथा दो पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया ।

मिडिया एण्ड कम्युनिकेषन सेन्टर :– संस्था के सहयोग से ग्वालियर में MCDC नाम से एक सेन्टर की स्थापना की गई है जिसमें संगठनात्मक कार्यो की जानकारी संघर्ष की गाथा आदि कार्यो का दस्तावेजीकरण कर आडियो बीडियो तैयार किया जाता है ।

अन्य कार्यक्रम :–

- प्रतिवर्षानुसार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा महापुरूषों की जयंतिया मनाई गई अक्टूबर का प्रथम सप्ताह महात्मा गाँधी के विचारों का प्रचार प्रसार कर स्वच्छता एवं नषा मुक्ति अभियान के रूप में मनाया गया।
- भोपाल में आयोजित नॉन बायलेंस इकॉनामि कार्यक्रम के अवसर पर संस्था द्वारा प्रकाषित

महिला जनप्रतिनिधि सशक्तिकरण पर निम्न कार्यक्रम संचालित किये गये।

गतिविधि नवम्बर 2010 से मार्च 2011

क्रं.	गतिविधि	स्थान	ब्लॉक	जिला	दिनांक	जनप्रतिनिध	अन्य	कुल
1	पंचायत स्तरीय बैठक	सुन्दरपुर	समनापुर	डिण्डोरी	19.01.2011	05	41	46
2	पंचायत स्तरीय बैठक	कंचनपुर	समनापुर	डिण्डोरी	20.01.2011	04	40	44
3	पंचायत स्तरीय बैठक	बिलायतकलां	बड़वारा	कटनी	21.01.2011	08	25	33
4	पंचायत स्तरीय बैठक	पथवारी	बड़वारा	कटनी	22.01.2011	03	52	55
5	पंचायत स्तरीय बैठक	लखाखेरा	बड़वारा	कटनी	23.01.2011	05	57	62
6	पंचायत स्तरीय बैठक	बिलायतखुर्द	बड़वारा	कटनी	25.01.2011	05	57	62
7	पंचायत स्तरीय बैठक	झिंझरी	बड़वारा	कटनी	02.02.2011	06	79	85
8	पंचायत स्तरीय बैठक	नानडिण्डौरी	समनापुर	डिण्डोरी	11.03.2011	05	47	52
9	पंचायत स्तरीय बैठक	चांदरानी	समनापुर	डिण्डोरी	12.03.2011	08	42	50
10	पंचायत स्तरीय बैठक	मानिकपुर	समनापुर	डिण्डोरी	13.03.2011	06	33	39
11	पंचायत स्तरीय बैठक	छांटा	समनापुर	डिण्डोरी	14.03.2011	04	49	53
12	पंचायत स्तरीय बैठक	कछारी	बड़वारा	कटनी	15.03.2011	07	49	56
13	पंचायत स्तरीय बैठक	चांदन	बड़वारा	कटनी	16.03.2011	03	69	72
14	पंचायत स्तरीय बैठक	माधोपुर	समनापुर	डिण्डोरी	16.03.2011	06	44	50
15	पंचायत स्तरीय बैठक	भादावर	बड़वारा	कटनी	29.03.2011	04	65	69
16	पंचायत स्तरीय बैठक	जाडोंगरी	समनापुर	डिण्डोरी	29.03.2011	07	43	50
17	पंचायत स्तरीय बैठक	डोंगरिया	समनापुर	डिण्डोरी	29.03.2011	05	42	47
18	पंचायत स्तरीय बैठक	गुणा कलां	बड़वारा	कटनी	30.03.2011	06	70	76
19	पंचायत स्तरीय बैठक	लदवानी	समनापुर	डिण्डोरी	31.03.2011	05	43	48

जनवरी 2011 से मार्च 2011 मे हुए कार्यक्रम की रूपरेखा

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम संख्या	दिनांक	स्थान	उपस्थिति		कुल
				EWR	Non EWR	
WLW	1	15 से 17 फरवरी 2011	जीवन विकास प्रशिक्षण केन्द्र बिजौरी	23	5	28
TOT	2	14,15,16 अप्रैल 2011	जीवन विकास प्रशिक्षण केन्द्र बिजौरी	28	5	33
		19,20,21 अप्रैल 2011	अनुराग होटल डिण्डौरी	36	3	39
तिमाही कार्यकर्ता बैठक	2	30,31 मार्च 2011	जीवन विकास प्रशिक्षण केन्द्र बिजौरी	–	–	8

1. कार्यक्षेत्र की जानकारी –

इस सत्र मे कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक मे 5 पंचायत एवं डिण्डौरी जिल के समनापुर ब्लॉक मे 5 पंचायत बढ़ाया गया अतः अब बड़वारा ब्लॉक के 15 पंचायत एवं समनापुर के 15 पंचायत कुल 30 पंचायतों मे सघन रूप से मानव जीवन विकास समिति द्वारा हंगर प्रोजेक्ट के सहयोग से कार्य किया जा रहा हैं।

संलग्न–कार्यक्षेत्र की सूची

जिला कटनी ब्लॉक बड़वारा

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	माहिला वार्ड नं.	गांव
1	लखाखेरा	तुलसा बाई	6	4
2	भादावर	नागवती बाई	5	3
3	बछरवारा	भगवानदीन	6	4
4	नन्हवारा सेझा	बलीसिंह	5	3
5	बड़ेरा	सतूला बाई	6	3
6	बिलायतकलां	कृष्णा सिंह	8	1
7	बिलायतखुर्द	कलावती विश्वकर्मा	5	1
8	पथवारी	प्रभा सिंह	5	2
9	गुड़ाकला	सुगन्धी बाई	6	4
10	कछारी	समुदिया बाई	6	3
11	नन्हवारा कलां	कौशिल्या बाई राठौर	8	2
12	बड़ागांव नं.02	तिरसिया बाई	7	2
13	परसेल	भूरी बाई कोल	7	1
14	खरहटा	राधा बाई रघुवंशी	7	1
15	सुड्डी	रानी बाई पटेल	6	1
	15 पंचायत	**13 महिला और 2 पुरूष**	**93**	**35**

जिला डिण्डौरी ब्लॉक समनापुर

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	माहिला वार्ड नं.	गांव
1	सुन्दरपुर	सावित्री बाई	7	2
2	नानडिण्डौरी	चमेली बाई	7	3
3	डोंगरिया	राजकुमारी	5	1
4	माधोपुर	सीता बाई	7	4
5	छांटा	कुसुम बाई	10	2
6	कंचनपुर	गंगोत्री बाई	8	2
7	जाताडोंगरी	छबि लाल	9	2
8	मानिकपुर	प्रतिभा	6	1
9	लदवानी	शंकरी बाई	6	3
10	चांदरानी	चित्रावती	10	1
11	बुडरूखी	शशी कला	7	2
12	सरईमाल	शान्ती बाई	10	3
13	प्रेमपुरमाल	गोमती बाई	7	2
14	मुकुटपुर	रेखा बाई	8	2
15	सरई	उषा बाई	6	2
	15 पंचायत	**14 महिला और 1 महिला**	**113**	**32**
टोटल	**30**	**27 महिला 3 महिला**	**206**	**67**

सफलता की कहानीयां

ग्राम –दामीतितराही जमीन जंगल की कहानी

डिण्डौरी जिले के समनापुर रेंज के ग्राम –दामीतितराही 20 परिवार के लगभग 80 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं।

20 परिवार के जिस जमीन पर खेती करते हैं वह जमीन पहले राजस्व की थी उस जमीन को जंगल वालों ने बन्द कूप बना एवं मुनारा गढ़ा दिया जमीन परन खेती करने वालों पर वन विभाग चार लोगों पर जुर्माना 200 रूपये करवाया, जुर्माना की पावती वर्तमान में धन सिंह के पास हैं। जुर्वाना सन् 1979 में हुआ जबकि उस जमीन को उनके पूर्वज लोग खेती करते थे वर्तमान में उन्ही के परिवार के लोग काविज हैं बीच में वन विभाग मारपीट की धमकी देकर बन्द करवा दिया था।

सन् 2004 में सभी 20 परिवार के लोग चना, मसूर, गेंहूँ लगभग 10 क्विंटल बोवाई जिसकी उपज लगभग 60 क्विंटल अनाज को वन विभाग के रेंजर, वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष लाभू गोंड़ ने मवेषियों द्वारा खेती नष्ट करने पहुँचा तब समरी बाई पिता हरि सिंह गोंड़ ने अपनी फसल बचाने खेत गये तब रेंजर वन सुरक्षा समिति के सदस्य ने समरी बाई को बुरी तरह से मारपीट किया पेट में खून निकला समरी बाई के साथी मिलकर दिनॉक 09.01.2005 को समनापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाये थानेदार ने रिपोर्ट में खूनी प्रकरण दर्ज नही किया और न कोई जॉच हुई पुनः सभी साथी मिलकर 9 फरवरी 2005 को जेल भरो आन्दोलन समनापुर थाने में किये तब तहसीलदार, पुलिस विभाग ने जॉच किया। वर्तमान में उसी जमीन में गेंहूँ चना, मसूर इत्यादि डाला गया है अभी वन विभाग उस जमीन पर तालाब बनवाना चाहता है।

डिण्डौरी जिले के समनापुर रेंज के ग्राम –दामीतितराही में जंगल के कक्ष क्रमांक 610 में वन विभाग मार्किंग का कार्य शुरू किया था ग्रामवासी ने मिलकर आवेदन तैयार किया आवेदन में लिखा है कि हमारे जंगल के झाड़ विरल है इन्हें हम नही काटने देंगे वन विभाग के वन रक्षक को दिनॉक 03.02.2010 को झाड़ नही काटने का आवेदन दिया। पहले वन विभाग सन् 1987–88 में बहुत झाड़ कटवा डाला हम निस्तार के लिये झाड़ रखेंगे वन विभाग जबरदस्ती झाड़ कटवाया तो उसमें जो परेशानी होगी उसके जिम्मेदार वन विभाग होगा।

श्री गणेश स्व–सहायता समूह ग्राम झल्लीटोला ग्राम पंचायत कोयलीखापा

1. पात्र का नाम – श्री गणेष स्व–सहायता समूह
2. गठन का दिनाँक – 14.08.2006
3. समूह मे सदस्य संख्या – 10
4. समूह अध्यक्ष – श्रीमति कसलो बाई
5. समूह सचिव – श्रीमति बुद्धन बाई
6. समूह महिला या पुरूष – महिला
7. सदस्य (ST/SC/OBC) – ST
8. ग्राम का नाम – झल्ली टोला
9. ग्राम पंचायम – कोयलीखापा
10. ब्लाक बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

झल्लीटोला ग्राम जिला मुख्यालय से 115 कि0मी0 दूर उत्तर दिषा मे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों से घिरा है, इस गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, मजदूरी के साथ–साथ वनोपज संकलन करना और अपने आजीविका को चलाना है। यह ग्राम मे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है परन्तु आर्थिक व्यवस्था ठीक नही होने के कारण उसका प्रबन्ध ठीक ढ़ंग से नही हो पा रहा है और नरेगा मे पर्याप्त काम नही मिलने के कारण आजीविका चलाने की समस्या है। और खेती कार्य मे विषेष रूचि होने से खेती कार्य कर रहे है परन्तु खेतों मे सिंचाई व्यवस्था न होने के कारण वर्षा जल पर ही खेती कार्य निर्भर है।

इसके बाद ही ग्राम के महिलाओं ने 14 अगस्त 2006 से श्री गणेश स्व–सहायता समूह का गठन एवं बचत का कार्य कर अपनी आजीविका चला रहे है। सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गढ़ी मे बैंक खाता खोलकर आपसी लेन देन चला रहे है अब तक इनके समूह मे कुल बचत राषि 10850.00 है जिसे समूह मे 3 प्रतिशत की दर से आपसी ऋण लेन देन कर राषि को बढ़ावा कर रहे है।

सितम्बर 2010 को समूह का जनपद पंचायत बैहर से ग्रेडिंग हुआ मार्च 2011 मे समूह को बैंक से 25000.00 रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त हुआ जिसका उपयोग सामूहिक बकरी पालन और रेषम पालन का कार्य कर राषि को आगे बढ़ा रहे है, इस कार्य मे इन महिलाओं के पतियों का विशेष योगदान रहता है।

तारा स्व–सहायता समूह ग्राम नयाटोला ग्राम पंचायत कोयलीखापा

11. पात्र का नाम – तारा स्व–सहायता समूह

12. गठन का दिनाँक – 06.01.2006

13. समूह मे सदस्य संख्या – 16

14. समूह अध्यक्ष – श्रीमति कंचन बाई

15. समूह सचिव – श्रीमति चैनबती बाई

16. समूह महिला या पुरूष – महिला

17. सदस्य (ST/SC/OBC) – ST

18. ग्राम का नाम – नयाटोला

19. ग्राम पंचायम – कोयलीखापा

20. ब्लाक बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

नयाटोला ग्राम जिला मुख्यालय से 120 कि0मी0 दूर उत्तर दिशा मे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बफर जोन के जंगलों से घिरा है, यहां के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, मजदूरी के साथ–साथ वनोपज संकलन करना और अपने आजीविका को चलाना है। नरेगा मे पर्याप्त काम नही मिलने के कारण आजीविका चलाने की समस्या है। और खेती कार्य मे विशेष रूचि होने से खेती कार्य कर रहे है जिन किसानों के खेत मे सिंचाई व्यवस्था है वह विशेष रूचि के साथ कार्य कर रहा है। इसके साथ ही ग्राम के महिलाओं ने 6 जनवरी 2006 से तारा स्व–सहायता समूह का गठन एवं बचत का कार्य कर अपनी आजीविका चला रहे है। सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गढ़ी मे बैंक खाता खोलकर आपसी लेन देन चला रहे है अब तक इनके समूह मे कुल बचत राशि 43827.00 है जिसे समूह मे 3 प्रतिशत की दर से आपसी ऋण लेन देन कर राशि को बढ़ावा कर रहे है।

सितम्बर 2010 को समूह का जनपद पंचायत बैहर से ग्रेडिंग हुआ मार्च 2011 मे समूह को बैंक से 25000.00 रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त हुआ जिसका उपयोग सामूहिक गल्ला धंधा का कार्य कर रहे है।

वन ग्राम रंजरा

वन ग्राम रंजरा, पंचायत फिटारी, पोस्ट ऑफिस जाड़ासुरूंग, विकास खण्ड समनापुर, तहसील जिला डिण्डौरी के बैगा आदिवासियों पर वन विभाग का अत्याचार गरीब बैगा आदिवासियों के साथ किया वन विभाग बैगाओं को झूठे मामले मे फंसाकर परेशान कर रहा है सन् 2005 को चालीस परिवार के बैगा आदिवासी को लगभग 200 एकड़ मे धान, कोदो की खेती किये थे वन विभाग के रेंजर गार्ड वन समिति सदस्य पुलिस फोर्स की सहायता लेकर वन विभाग पूरी फसल को नष्ट कर दिया फसल बचाने पर मारपीट की धमकी देता है जनादेश के चलते वन कानू बना दाबा फार्म 150 लोगों के भरे है 98 लोगों को पात्र एवं 52 लोगों को अपात्र घोषित कर रहा है वन विभाग ने जिन लोगों के पास पट्टा है उसे ही केवल पात्र घोषित कर रहा है अभी वर्तमान मे 12 लोगों को 4–4 हेक्टेयर का पट्टा मिला है। एक बैगा बारे लाल पिता थान सिंह बैगा को 50 डिस्मिल का पट्टा मिला है। यह पट्टा जमीन का बिना सीमांकन के दिया गया है।

दामीतितराही

ग्राम पंचायत दामीतितराही पोस्ट जातासुरूंग वि.खं. समनापुर जिला डिण्डौरी म0प्र0 के अन्तर्गत आता है। दामीतितराही के 28 परिवार के बैगा आदिवासियों ने पूर्व के अपने आजा पुरखा के जमाने से राहर मक्का आदि की खेती कर जीवन यापन करते आ रहे है वन विभाग के गार्ड लामू सिंह एवं वन समिति के सदस्य मिलकर 26.07. 2005 को खेतों की फसल को नष्ट कर दिया। ढुलिया सिंह पिता धन सिंह को वन विभाग के लोग मिलकर रात भर बन्दी बनाकर रखे थे वन विभाग ने किसानों को फसल बचान पर बन्दूक से मारने की धमकी दिया कहता है कि यह जमीन वन विभाग की है किसानो ने बताया कि यह जमीन का 1970 मे हमने जुर्माना भी पटाया है उसकी रसीद भी हमारे पास है खेत पर 20 किलो मक्का एवं 25 किलो राहर बोया गया था थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराया गया है उसकी भी फोटो कापी है इस मुद्दा को लेकर कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौपा गया लेकिन कोई ध्यान नही दिया गया। काबिज जमीन का दावा फार्म भरा गया है मग रवह दावा फार्म पंचायत मे ही पड़ा रह गया। 5 जून 2010 अन्तर्राष्टीय पर्यावरण दिवस के दिन कलेक्टर डिण्डौरी को ज्ञापन दिया गया उसकी जांच सही ढ़ंग से नही हुआ है। जमीन की लड़ाई अभी जारी है।

ग्राम धनगांव एवं पुनगांव

ग्राम धनगांव एवं पुनगांव ये दोनों गांव 1 कि0मी0 की दूरी के अन्तराल मे बसे हुए है पंचायत धनगांव, ब्लॉक मवई, जिला मण्डला मे स्थित है धनगांव मे 8वीं तक स्कूल छात्रावास तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र है उपस्वास्थ्य केन्द्र मे एक नर्स कार्य कर रही है गांव मे वन विभाग की चौकी है उसमे वन कर्मी रहते है ये दोनो राजस्व ग्राम है इस गांव मे गोंड़, बैगा, लुहार जाति के लोग रहते है इसकी आबादी लगभग 900 है पंचायत के माध्यम से गांव मे ए.सी.सी. सड़क निर्माण कार्य हो चुका है हैण्ड पम्प भी लग गये है पुनगांव मे एक नाला है जो कि दोनों गांव से होकर गुजरता है अगर इस नाला को बंधवाकर चैक डेम बनवा दिया जाये तो काफी सुविधाजनक होगी। क्योंकि खेती के लिए पानी की कमी है अधिकांश भाग असिंचित है जबकि जमीन उपजाऊ है फसल अच्छी न होने से काफी लोग पलायन कर जाते है। पंचायत मे रोजगार गारंटी का काम तो होता है परन्तु भुगतान बहुत दिनो बाद होता है। करीबन इन गांव मे एक वर्ष से कार्य कर रहा है और जल, जंगल, जमीन की जानकारी देकर संगठन को मजबूती प्रदान कर जनसत्याग्रह 2012 की तैयारी मे लगे है।

ग्राम – खरपटिया (मटियारी)

जिला मण्डला विकास खण्ड बिछिया के ग्राम खरपटिया जो कि वि.खं. से 35 किलोमीटर दूर स्थित है ये ग्राम एक विस्थापित ग्राम है सन् 1960–70 के दसक मे यह ग्राम मटियारी डेम से विस्थापित किया गया शासन ने मटियारी डेम का निर्माण चालू करने से पहले इस गांव को पूर्ण जिम्मेदारी निभाने का वादा करके विस्थापित किया था कि शासन सभी विस्थापितों को पूर्ण सुविधा प्रदान करेगी एवं जो भी उनके पास वर्तमान मे उपलब्ध है उसे उपलब्ध करायेगी। इस गांव मे 20 परिवार के बैगा आदिवासी निवासरत है जो बांध बनाने से पूर्व अपनी जीविका कृषि एवं मछली मारकर चलाते थे लेकिन 1960–70 के दसक मे विस्थापन के बाद शासन ने इन बैगा परिवारों को न जमीन दिया और न ही जीविकोपार्जन का कोई साधन उपलब्ध कराया। जिसके चलते बैगा आदिवासी भूखों मरने के कगार पर आ गये हैं इसके बाद बैगाओं ने दादर के ऊपर थोड़ा–थोड़ा जमीन (जंगल) काबिज किये एवं झोपड़ी बनाकर वहां रहकर कृषि करना शुरू किये लेकिन दादर मे फसल पर्याप्त मात्रा मे न होने से उनकी जीविका मे बहुत कठिनाई आने लगा तब बैगाओं ने बांध मे मछली मारना शुरू किये और मछली बेंचकर अपना जीविका चलाना शुरू किये लेकिन ये शासन को भाया नही शासन ने मछली मारने पर भी प्रतिबन्ध लगा रखा है और समूह ठेका देने की बात करने लगा है दूसरी तरफ बैगाओं ने जो जमीन काबिज किया था उस पर भी प्रतिबन्ध लगाना शुरू कर दिया एवं बैगाओ पर अतिक्रमण का केस दायर कर दिया।

इसके बाद सन् 1990–2000 के दसक मे संस्था ने इस गांव मे प्रवेश किया और बैगा आदिवासियों से उनके जीवन जीने की पूर्ण जानकारी निकलकर सामने आया कि सरकार ने लोगों पर अत्याचार कर रहा है इस पर संस्था ने लोगों के संगठन की शक्ति के बारे मे समझाकर संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया इस पर लोगों ने संगठन बनाया जिसमे प्रारम्भ मे 14 परिवार के लोग शामिल हुए एवं संगठन बनाकर समूह का निर्माण किये इसके बाद संस्था ने संगठन के साथ जुड़कर लगातार संघर्ष करना शुरू किये जिसमे रैली, धरना, सभा ज्ञापन आदि के माध्यम से अपनी समस्याओं को शासन को अवगत कराना शुरू किये समूह को शासन ठेका दे दिया इसके बाद बैगा आदिवासियों के जीवन यापन मे मदद मिला। तब लोगो ने संगठन को और मजबूत बनाने का प्रयास करने लगे। समूह बनाकर बचत करना शुरू किया जिसमे संस्था ने भी अपना सहयोग प्रदान किया समूह के द्वारा एक क्विंटल अनाज बचाया गया संस्था ने भी उसे बचाने के लिये अपने से 1 क्विंटल अनाज देकर दुगना करने की बात रखी इसी प्रकार लगातार 1 से 2 और 2 से 4 बढ़ते क्रम मे रखने की समझ रखी। इसके बाद लोगों ने लगातार संघर्ष जारी रखा संगठन के माध्यम से लोगों ने केस भी लड़ा जिसमे संस्था के कार्यकर्ता ने भी भरपूर सहयोग दिया। इस कार्यक्रम के चलते वनाधिकार कानून पास किया एवं लागू किया जिसके चलते बैगा आदिवासियों का केस संस्था के कार्यकर्ता साथियों ने मेहनत के साथ केस खारिज कराया वर्तमान मे बैगा आदिवासी उसी जमीन पर खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे है। एवं संस्था मे जुड़कर शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ ले रहे है। साथ ही समूह मे मछली मारकर भी अपनी जीविका चला रहे है एवं समूह मे बचत कर अपनी समस्याओं से छुटकारा भी पा रहे है।

महाकौशल के कार्यकर्ताओं का कौशल

मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट का नाम सुनते ही तुरन्त ध्यान आता है कि ये मध्य प्रदेष के अत्यंत पिछड़े जिले हैं जहाँ गोंड़, बैगा आदिवासी रहते हैं। इन्ही पिछड़े आदिवासी जिले के गांवों में मानव जीवन विकास समिति के कर्मठ एवं जुझारू 20 कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत द्वारा लोगों के जीवन में आर्थिक, राजनीतिक विकास कर समाज परिवर्तन की दिषा में अहम् भूमिका निभाई है।

राजनीतिक विकास :–

वर्षों से गांवों में कार्य करते हुए यह अनुभव हुआ कि जब तक कार्यकर्ताओं की पकड़ गांव की ग्राम सभा या पंचायत स्तर पर नहीं होती तब तक समाज परिवर्तन की दिषा में ठोस कार्य नहीं किये जा सकते। इसी दृष्टि से 2009–10 में होने वाले पुचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं ने 76 पंचायतों के लिए अपने पक्ष के लोगों को खड़ा कर प्रचार–प्रसार किया जिसमें निम्नानुसार सफलता प्राप्त हुई –

क्रं.	जिला	जिला सदस्य पंचायत	जनपद सदस्य	सरपंच	पंच	योग
1	डिण्डौरी	01	00	18	32	51
2	मण्डला	01	00	06	17	24
3	बालाघाट	01	01	02	21	25
	योग	03	01	26	70	100

भादावर पंचायत के पंच और सरपंच सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गये।

आर्थिक विकास :–

महाकौषल के अति पिछड़े क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। क्षेत्र में 508 लोगों को पट्टे प्राप्त हुए। पट्टे मिल जाने से ही जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता वरन प्राप्त भूमि का सही दिशा में उपयोग आवश्यक है तभी आजीविका की समस्या का निराकरण हो सकता है और खाद्यान्य सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। कार्यकर्ताओं ने असिंचित, पठारी, पहाड़ी तथा अन्य भूमि का गम्भीर अध्ययन कर फसलें लेन के लिये समझाया तथा सहयोग किया। वर्षा आधारित फसल लेने के लिये प्रोत्साहित किया। वर्षा आधारित फसलें धान, कोदो, कुटकी, अरहर, मक्का, जगनी, तिल, उड़द के अतिरिक्त कुछ इलाकों में रबी की फसल गेहूँ, चना, अलसी, मटरी आदि का भी उत्पादन किया जाता है। डिण्डौरी में 5 एकड़ में 5 क्विंटल, मण्डला में 8 क्विंअल तथा बालाघाट में 15 क्विंटल उत्पादन होता है। वर्ष 2010 में 2699.97 एकड़ जमीन पर 31108.55 क्विंटल अनाज उत्पन्न हुआ जिसका बाजार भाव 800 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 2,48,86,840 (दो करोड़ अड़तालिस लाख छियासी हजार आठ सौ चालीस) रूपये होता है। इन आंकड़ों से यह अनुमान लगाया लगाया जा सकता है कि बैगा, गोंड़ आदिवासी की खाद्यान्य सुरक्षा का विकास हुआ है। क्षेत्र में एक एकड़ भूमि का न्यूनतम मूल्य 50,000 (पचास हजार) रूपया है जिसके हिसाब से 2699.97 एकड़ भूमि का मूल्य 13,49,98,500 (तेरह करोड़ उनन्चास लाख अन्ठान्वे हजार पाँच सौ) रूपये होगा जो एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले पाँच वर्ष का उत्पादन करोड़ों में है। आदिवासी परिवारों को जमीन मिली, खाद्यान्न सुरक्षा मिली, आजीविका का साधन मिला, पलायन, भुखमरी आपदाओं में राहत मिली।

क्रं.	जिला	पट्टाधारियों की संख्या	जमीन एकड़ में	उत्पादन	बाजार भाव	जमीन की कीमत
1	डिण्डौरी	60	350.50	1752.50	1402000	17525000
2	बालाघाट	277	1566.47	23092.65	18473640	78323500
3	मण्डला	171	783	6264	5011200	39150000
योग		508	2699.97	31108.55	24886840	134998500

सामाजिक विकास :–

क्षेत्र के आदिवासी जो पहले डरे हुए तथा सहमे रहते थे वे आज खुलकर अपने अधिकार की बात करते हैं। समनापुर ब्लॉक की श्यामबती बैगा जो कभी ग्राम सभा में भी नहीं जाती थी कार्यकर्ताओं के प्रचार–प्रसार से प्रभावित हो पंचायत चुनाव में खड़ी हो गई। हार गई लेकिन उत्साह सब भी कायम है। पंच सरपंच के पद पर जीती महिलाएँ घर से बाहर निकलकर सामाजिक शसक्तिकरण का कार्य कर रही हैं।

आत्मविष्वास विकास :–

- क्षेत्र के लोगों में आत्मविष्वास जागृत हुआ है। क्षेत्र में 12 पट्टे देने के लिये तहसीलदार आया। उसने प्रति पट्टा 200 रूपये वसूले। लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध किया दूसरे ही दिन तहसीलदार पूरे पैसे लौटा गया।
- तीन स्व–सहायता समूहों को बैंक से 20–20 हजार रूपया मिला लेकिन बैंक मैनेजर ने 5–5 हजार ले लिये सिर्फ 15–15 हजार दिये। कार्यकर्ताओं व लोगों के विरोध पर मैनेजर ने रूपये लौटा दिये।
- अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, संगठित होकर विरोध करना क्षेत्र की उपलब्धि है।

कटनी, डिण्डौरी, मण्डला, के पाँच गावों में 31 लोगों के सर्वे पर आधारित यह जानकारी है। जिसमें प्रति परिवार 5 सदस्य होंगे उन्हें वर्ष में अपने घर परिवार चलाने लायक 55650 रूपये की जरूरत पड़ती है जो एकड़ जमीन से खर्चे काटने के बाद 20 हजार रूपये ही मिल सकेंगे जो कुल जरूरत के अनुसार 35650 रूपये कम पड़ेंगे। जिसे उस परिवार को अन्य कार्य खेतिहर मजदूरी या NREGA जैसे कामों से भी पूर्ति नहीं हो पायेगी क्योंकि NREGA के केवल 100 दिनों के काम की गारण्टी है। जिसमें पति/पत्नि भी काम पूरे 100–100 दिन काम करेंगे तो 18 हजार रूपये मजदूरी से मिलेंगे वह भी मिल गया तो। फिर भी 17650 रूपये कम पड़ेंगे जिस कारण से इन गरीब परिवारों में खाद्य सुरक्षा बच्चों का न्यू इस की कमी हमेषा रहेगी बीमारी के समय भी दवाई ठीक से नही करा पायेंगे।

अभी वर्तमान में दिनाँक 16.09.2010 तक के महाकौशल के संस्था के कार्यक्षेत्र के 176 गांवों का सिर्फ संस्था लक्ष्य समूह में जो वन अधिकार अधिनियम से ऑकड़ा आया है वह काफी संतोष जनक है जैस कुल 508 लोगों 2699.97 एकड़ जमीन का वन अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है जो 5.31 एकड़ जमीन प्रति परिवार आती है जिसका उत्पादन यदि दोनो फसल का निकालें तो 10–12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन भी लगाते है तो 58 क्विंटल प्रति परिवार अनाज का उत्पादन होगा जो यदि कम से कम 1200 रूपये प्रति क्विंटल बिक्री भव लगाते है तो 69600 रूपये का होता है। इस आकड़े के आधार पर कुल मांग में से 13950 रूपये का लाभ मिल सकता है जिसमें वह परिवार अपने घर की सुन्दरता अपने दवाई, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कपड़े व तीज त्यौहार भली–भांति मना सकता है।

इससे यह साफ है कि बिना जमीन के स्थायी आजीविका का साधन नहीं खड़ा हो सकता तो वन अधिकार अधिनियम को भली–भांति क्रियान्वयन करने से हजारों आदिवासी परिवारों में स्थाई आजीविका का साधन खड़ा होगा।

सचिव

मानव जीवन विकास समिति